# * केन्द्र-राज्य संबंध *

* संविधान की सातवी अनुसूची में केन्द्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करने के लिए निम्न 3 सूचियां बनाई गई है –

1. संघ सूची → इसमे मूल रूप से 97 तथा वर्तमान में 100 विषय है।
* इन पर कानून केन्द्र/संसद बनाती है।
* इसके प्रमुख विषय है →
रक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, जनगणना, मुद्रा, डाक तार व संचार, बीमा एवं बैंकिंग, भारी उद्योग, कम्पनी मामले, नागरिक उड्डयन, रेलवे, संघ लोक सेवा आदि।

2. राज्य सूची → इसमें मूल रूप से 66 तथा वर्तमान में 61 विषय है।
* इन पर कानून राज्य बनाती है।
* इसके प्रमुख विषय है →
कृषि एवं पशुपालन, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जेल एवं कारागार, जल व पेयजल, सिंचाई, परिवहन, मनोरंजन, भू-राजस्व, सहकारिता, स्थानीय शासन, राज्य लोक सेवा।

3. समवर्ती सूची → इसमे मूल रूप से 47 तथा वर्तमान मे 52 विषय है।
* इन पर कानून केन्द्र व राज्य दोनों बनाते है परन्तु यदि दोनों के द्वारा बनाये गये किसी कानून मे कोई विरोध उत्पन्न होता है तो केन्द्र का कानून मान्य रहता है तथा राज्य का कानून उस सीमा तक समाप्त माना जाता है जहाँ तक की वह केन्द्र के कानून से टकराता है।

* इसके प्रमुख विषय है →
शिक्षा, ऊर्जा, समाचार पत्र एवं मीडिया, वन एवं पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, पक्षी, माप तोल व बाट, समाज कल्याण / लोक कल्याण, दण्ड विधि, दीवानी व फौजदारी मामले, विवाह, तलाक व उत्तराधिकार, आदि।

* अवशिष्ट विषय → वे विषय जो उपरोक्त 3नों सूचियों में नहीं है उन पर कानून केन्द्र / संसद बनाती है।

लद्दाख की झीलें → पेंगोंगसो झील (चीन भारत विवाद), सो मोरीरी झील
जम्मू कश्मीर झीलें → वुलर झील, डल झील, गाडसर झील, मानसबल झील, वीरीनाग झील
शेषनाग झील, कौसरनाग झील, गाडसर झील, नागिन झील
- गंगाबाल झील, मानसबल झील

जम्मू कश्मीर के प्रमुख बांध → सलाल बांध (चेनाब नदी), दुल हस्ती बांध (चेनाब नदी)
बगलिहार बांध (चेनाब नदी), उरी बांध (झेलम नदी), किशनगंगा नदी (किशनगंगा बांध), रैटल बांध (चेनाब नदी)

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर & लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
→ न्यायमूर्ति → पंकज मित्तल
↓
शपथ → राज्यपाल दिलाएगा

High Court न्यायाधीश नियुक्ति अनु - 217
Supreme Court की नियुक्ति - 124